

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002  
ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in



By speed post/Email  
Violation Letter  
Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-  
2695202

संख्या : E7010 MCDR-MiFLOGEN/16/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक : 11/07/2025

प्रेषिति : खान मालिक,

कार्यालय संख्या 12 द्वितीय तल एम

सेठिया कॉम्प्लेक्स, होटल के पास

कैलाश इंटरनेशनल

चौहटन रोड, बाड़मेर ।

Email Id: [ratanbhoot@gmail.com](mailto:ratanbhoot@gmail.com),

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Sajit Siliceous Earth Mine over an area 4.363 Ha.in Jaisalmer district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Ajay Kumar Jatolia, AME on 12/02/2025 in presence of Mine Officials.

| Rule No.   | Nature of violation observed in detail  |
|------------|---|
| Rule 11(1) | The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 09/08/2021): -<br>a) Nil overburden has been produced against the proposal of 14425 Cum overburden.<br>b) Nil stripping ratio has been done against the proposal of 1:19.<br>c) Nil backfilling has been carried out during the year against the proposal of 0.15 Ha. |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है ।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस ) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

भवदीय

दिलीप जैन  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल )
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर ।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर ।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो